



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/540/2019/.....

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
BMSICL, पटना

पटना, दिनांक

विषय: राज्य के 10 स्वास्थ्य संस्थानों में Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe की आपूर्ति करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती माताओं एवं अन्य मरीजों को अनिवार्य चिकित्सकीय जाँच के साथ अल्ट्रासाउंड जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संस्थानवार संस्थागत प्रसव की संख्या, अन्य आकस्मिकी एवं गैर संचारी रोग के मरीजों की संख्या, विशेषज्ञ चिकित्सक/स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता एवं संस्थान में उपकरणों के अंतर-विशलेषण के उपरांत IPHS के अनुसरण में उपकरणों की मानक उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित संस्थानों में अंकित संख्या के अनुरूप Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कराया जाय:-

Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe :-

क्रम सं०	जिला का नाम	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले Ultrasound Machineकी संख्या
1	दरभंगा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवाड़ा	01
2	गयाजी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिजरसराय	01
3	गयाजी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराचट्टी	01
4	गोपालगंज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैकुंठपुर	01
5	मुजफ्फरपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरौल	01
6	मधुबनी	रेफरल अस्पताल, मधेपुर	01
7	नवादा	रेफरल अस्पताल, वारसलीगंज	01
8	समस्तीपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर	01
9	खगड़िया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली	01
10	कटिहार	अनुमंडलीय अस्पताल, बारसोई	01
11	सारण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरखा	01
12	सारण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा	01
कुल :-			12

2. उक्त संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों को अल्ट्रासाउंड की निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने हेतु समीक्षोपरान्त अल्ट्रासाउंड मशीन के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी जा रही है। अतएव, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक एवं उपरांकित स्वास्थ्य संस्थान के नाम से PC & PNDT Act के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु निबंधन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration, Form-B) निर्गत किया जायेगा। संबंधित सिविल सर्जन





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



द्वारा PC & PNDT निबंधन प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं BMSICL को एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधी विवरणी की प्रविष्टि अस्पताल के भंडार पंजी एवं EMMS पर उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रबंधक विधिवत् रूप से करेंगे तथा Stock Register Serial No. को उपकरणों पर Asset Identification Number के रूप में नामपट्ट किया जाय। उपर्युक्त सूची के अनुसार BMSICL द्वारा उक्त उपकरण की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन चिन्हित स्थल पर कराते हुये संबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को मशीन संचालन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही, उक्त अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रविष्टि BMMP पोर्टल पर करते हुये बार-कोड जेनरेट किया जाए। उपकरण के अधिष्ठापन एवं प्रशिक्षण के उपरांत उसे क्रियाशील(operate) कर अधिष्ठापन प्रतिवेदन (Installation Report) पर उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अस्पताल प्रबंधक की अभ्युक्ति दर्ज कराते हुये प्रतिवेदन निर्गत किया जाय। अल्ट्रासाउंड मशीन का Operative and Instruction Booklet/User Manual एवं अनिवार्य अभिलेख अधिष्ठापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित अस्पताल में संरक्षित करने का दायित्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त सूची के अनुरूप उक्त अस्पतालों में Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कराने की कृपा की जाय। इस आपूर्ति में होने वाली व्यय राशि का हस्तांतरण निगम के अध्याचना के आलोक में की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक:-SHSB/PM/540/2019/.....7335 पटना, दिनांक...22/01/26

प्रतिलिपि:-

- सभी संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि दो दिनों के अंदर EMMS (Equipment Management Maintenance System) पर Ultrasound Machine with Colour Doppler, Convex Probe and Linear Probe का इन्डेन्ट कराना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी, प्रोक्योरमेंट/उप सचिव-सह-निदेशक (वित्त)/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, औषधि, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मातृ स्वास्थ्य/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी PC&PNDT राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ। निदेश है कि उक्त अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए PC&PNDT के तहत निबंधन कराते हुये मशीन का मरीज हित में सदुपयोग कराया जाय।
- महाप्रबंधक (लॉजिस्टिक) BMSICL को सूचनार्थ। कृपया EMMS पर इसकी प्रविष्टि करायी जाय।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश है कि BMSICL से आपूर्ति प्राप्त अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रविष्टि EMMS तथा BMMP पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- महाप्रबंधक-KTPL को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अधिष्ठापन के पश्चात् उक्त सभी उपकरणों का Unique code generate करते हुए BMMP Portal पर उपकरणों की प्रविष्टि की जाए।

कार्यपालक निदेशक

